न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 35 / 24
निर्णय दिनांक : 17.05.2024
GCMS NO : 2024/51

संजू कंवर पत्नी कुशल सिंह जाति राजपूत निवासीनी ग्राम जैतासर तहसील सुजानगढ

...............वादीनी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................प्रतिवादी

दावा बावत रेकॉर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :–

1. वादीनी।
2. प्रतिवादी पेरोकार राज उपस्थित।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला-चूरू सत्यमेव जयते

निर्णय

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी रोही ग्राम जैतासर तहसील सुजानगढ की स्थाई निवासीनी है। वादीनी के खातेदारी वाके रोही ग्राम जैतासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में खाता संख्या 486 में अंकित खेत खसरा संख्या 1292/725 तादादी 5.0327 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1297/791 तादादी 2.0358 हैक्टेयर, खसरा संख्या 658 तादादी 2.9336 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल तादादी 10.0021 हैक्टेयर भूमि संयुक्त खातेदारी में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज स्थित है, जिसमें वादीनी का नाम सज्जन कंवर पत्नी कुशलसिंह अंकित है।

वादीनी का सही व वास्तविक नाम संजू कंवर पत्नी कुशलसिंह है। राजस्व रिकॉर्ड में अंकित खाता संख्या 486 में अंकित खसरा संख्या 1292/725 तादादी 5.0327 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1297/791 तादादी 2.0358 हैक्टेयर, खसरा संख्या 658 तादादी 2.9336 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल तादादी 10.0021 हैक्टेयर में वादीनी का नाम सज्जन कंवर पत्नी कुशलसिंह अंकित है, जो कि गलत अंकित है, जबकि वादीनी का सही व वास्तविक नाम संजू कंवर पत्नी कुशलसिंह है।

वादीनी अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित खाता संख्या 486 में अपना नाम दुरस्त करवाना चाहती है।

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

वादीनी के राजस्व रिकॉर्ड में भिन्न–भिन्न होने के कारण वादीनी को राजस्व से संबंधित मिलने वाले सरकारी फायदों से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण रेकॉर्ड में संशोधन करवाये जाने का वादीनी को अधिकार है।

वादगत भूमि रोही ग्राम जैतासर तहसील सुजानगढ़ में स्थित है इसलिए न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। वादीनी का वाद स्वीकार किया जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत में वादीनी का नाम सज्जनकंवर पत्नी कुशलसिंह दर्ज है। जबकि वादीनी के दस्तावेजों में नाम संजुकंवर पत्नी कुशलसिंह दर्ज है। संजुकंवर एवं सज्जनकंवर दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं अतः वादीनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में संजुकंवर पत्नी कुशलसिंह किया जाना उचित है।

वादीनी को सुना गया। पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की प्रति, बैंक पास बुक्स की प्रति., तथा राशन कार्ड की प्रतिलिपि आदि दस्तावेजात में भी वादीनी का नाम संजूकंवर पत्नी कुशालसिंह अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार वाद वादीनी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

दावा वादीनी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खाता संख्या 486 में अंकित खेत खसरा संख्या 1292/725 तादादी 5.0327 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1297/791 तादादी 2.0358 हैक्टेयर, खसरा संख्या 658 तादादी 2.9336 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल तादादी 10.0021 हैक्टेयर वाके रोही मौजा जैतासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित वादीनी का नाम सज्जन कंवर पत्नी कुशलसिंह जाति राजपूत निवासी जैतासर खातेदार के स्थान पर संजुकंवर पत्नी कुशलसिंह जाति राजपूत निवासी जैतासर खातेदार दर्ज किया जावे। रहन अगर कोई है तो उसकी प्रविष्टि यथावत रहे। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2024 को सर इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्राकित किया गया।

ओमप्रकाश वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)